उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-4

संख्या- 58 /2026/I/ 1450275 /2026/11-4099/47/2024

लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2026

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-54/2026/I/1411533/2026/11-4099/47/2024, दिनांक 28.07.2026 (प्रति संलग्न) द्वारा **जनपद-कासगंज में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रु0 597.05 लाख के सापेक्ष परियोजना की निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर लागत) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-13-07-जनपद कासगंज में मण्डल स्तरीय कार्यालय भवन का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद प्रावधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु **अवशेष धनराशि/अंतिम किश्त** के रूप में **रु0 55.37 लाख (रूपये पचपन लाख सैंतीस हजार मात्र)** धनराशि की वितीय स्वीकृति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28.07.2026 के पृष्ठांकन प्रति संख्या-6 में "मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ" अंकित है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 28.07.2026 के पृष्ठांकन प्रति संख्या-6 में उल्लिखित "मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ" के स्थान पर **"मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ"** पढ़ा व समझा जाय।

4- शासनादेश संख्या-54/2026/I/1411533/2026/11-4099/47/2024, दिनांक 28.07.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
ARVIND SINGH
Date: 02-09-2026 13:22:16

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, अलीगढ़ जोन, अलीगढ़।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कासगंज/अलीगढ़।
8. मुख्य अभियंता, निर्माण खंड (भवन विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।